

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.4(79)नविवि/2023

जयपुर, दिनांक: 16 JAN 2024

--:आदेश--

जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 की अनुसूची संख्या-III में अभियांत्रिकी सेवा की पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.12.2023 की अनुशंषानुसार निम्नांकित अधिशाषी अभियंता को अधीक्षण अभियंता के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 ग्रेड पे-7600 (एल-19) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री एल.एन मित्तल	अनारक्षित	2021-22	16.05.2021
2.	श्री विवेक शर्मा	अनारक्षित	2022-23	01.10.2022
3	श्री संजय व्यास	अनारक्षित	2023-24	01.04.2023
4.	श्री मोहित चौधरी	अनारक्षित	2023-24	01.07.2023
5.	श्री महेश चन्द गोयल	अनारक्षित	2023-24	01.08.2023
6.	श्री विनोद कृष्णया	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
7.	श्री योगेश स्वरूप माथुर	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
8.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
9.	श्री अविनाश शर्मा	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
10.	श्री भवानी सिंह राठौड	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
11.	श्री वी.एम.जौहरी	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
12.	श्री राजेन्द्र कुमार माथुर	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
13.	श्री दीपक माथुर	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
14.	श्री सपन मिश्रा	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
15.	श्री हेमेन्द्र कुमार शर्मा	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023

उपरोक्त अभियंताओं की अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उपरोक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(अवधेश सिंह)

शासन संयुक्त सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. विशिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।



शासन संयुक्त सचिव-तृतीय